अंर्तजिला चोर गिरोह व गौरिया गैंग का पर्दाफाश, 8 गिरफ्तार

» साईबर सेल एवं थाना की संयुक्त टीम के द्वारा की गई कार्यवाही

» आरोपियों को बालोद ,चरोटा, भिलाई दुर्ग, कांकेर और कवर्धा से किया गया गिरफ्तार

» आरोपियों से सोने-चांदी के जेवरात, मोटर सायकल एवं 08 नग मोबाईल फोन बरामद

बालोद (आरएनएस)। जिला पुलिस ने अंर्तजिला चोर गिरोह व गौरिया गैंग का पर्दाफाश करते हुए 8 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता पायी। आरोपियों से पुलिस ने सोने-चांदी के जेवरात, मोटर सायकल एवं 08 नग मोबाईल फोन बरामद किया है।

पुलिस ने इस मामले का खुलासा करते हुए बताया कि 28 जुलाई को प्रार्थी के सिकोसा स्थित दुकान बालाजी मोबाईल एण्ड सेल्स में अज्ञात चोर द्वारा प्रवेश कर उनके मोबाईल हैण्डसेट,नगदी रकम चोरी कर फरार हो गये थे जिस पर थाना गुण्डरदेही में अपराध क्र 170/2021 धारा 457, 380 भादवि पंजीबद्ध किया गया। उक्त अपराध में अज्ञात आरोपियो की पतासाजी हेतु विषेष टीम गठित कर भेजा गया था। टीम के द्वारा सीसीटीवी फुटेज एवं तकनीकी साक्ष्यों की मदद से प्रकरण के अज्ञात आरोपियो के संबध में जानकारी प्राप्त कर प्रकरण के आरोपी मुकेश सेन पिता प्रेमलाल सेन 32 वर्ष पता-ग्राम लिमोरा थाना बालोद योगेश कुमार ठाकुर पिता राधेलाल ठाकुर 22 वर्ष पता-ग्राम चरोटा थाना बालोद अमित ठाकुर पिता स्व. रोहित ठाकुर पता-गंजपारा बालोद थाना बालोद जिला बालोद को चोरी के मोबाईल सहित गिरफ्तार किया गया।

थाना बालोद के अपराध क्र 233/2021, धारा 457, 380 भादवि में 28 जुलाई को प्रार्थी कुमार हिरवानी के ग्राम लाटाबोड़ स्थित किराना दुकान पर अज्ञात चोरों द्वारा शटर का ताला तोड़कर दुकान में रखे सामान व नगदी रकम चोरी कर फरार हो गये थे। जिस पर प्रकरण के 03 आरोपी मुकेश सेन पिता प्रेमलाल सेन वर्ष पता-ग्राम लिमोरा थाना बालोद योगेश कुमार ठाकुर पिता राधेलाल ठाकुर 22 वर्ष पता-ग्राम चरोटा थाना बालोद अमित ठाकुर पिता स्व. रोहित ठाकुर पता-गंजपारा बालोद थाना बालोद जिला बालोद को विधिवत गिरफ्तार किया गया। थाना गुण्डरेदही के अपराध क्र 169/2021 धारा -170,379 भादवि में 27 जुलाई को प्रार्थी रामनारायण साहू ग्राम सलौनी के मोटरसायकल मे लिफ्ट मांगकर पीछे बैठा और पुलिस अधिकारी बनकर अज्ञात चोर द्वारा प्रार्थी के मोटरसायकल को चोरी कर ले गया था। जिस पर प्रकरण के आरोपी मुकेश सेन पिता प्रेमलाल सेन उम्र 32 वर्ष पता-ग्राम लिमोरा थाना बालोद जला बालोद को विधिवत गिरफ्तार किया गया।

थाना डौण्डीलोहारा के अपराध क्र 18/2021 धारा -379 भादवि में 18 जनवरी को प्रार्थी डोमन कुमार देश मुख निवासी रामनगर का मोबाईल हैण्डसेट डौण्डलोहारा के साप्ताहिक बाजार से किसी अज्ञात आरोपी द्वारा चोरी कर ले गया था। जिस पर विषेष टीम बालोद द्वारा गौरिया गैंग के सदस्य प्रकरण का आरोपी छोटू संवरा पिता दूसरी संवरा उम्र 19 वर्ष जाति गौरिया पता गौरिया मोहल्ला वार्ड न 17 थाना कवर्धा जिला कवर्धा को आज दिनांक को विधिवत गिरफ्तार कर जिला बालोद लाया गया। थाना डौण्डीलोहारा के अपराध क्र 60/2021 धारा -380 भादवि में 26 फरवरी को प्रार्थी हरिष रावटे निवासी बड़गांव थाना डौण्डीलोहारा का मोबाईल हैण्डसेट घटना दिनांक को उसके घर से किसी अज्ञात आरोपी द्वारा चोरी कर ले गया था। जिस पर विषेष टीम बालोद द्वारा प्रकरण के आरोपी वीनू महेन्द्र बघेल उर्फ विनू पिता -धनेश राम बघेल उम्र 24 वर्ष पता बड़गांव थाना डौण्डीलोहारा जिला बालोद हाल शारदा पारा कैप 2 भिलाई जिला दुर्ग को दिनांक 28.08.2021 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया। थाना गुरूर के अपराध क्र 15/2021 धारा -380 भादवि में 12 जनवरी को प्रार्थी पुहुप लाल ठाकुर पता ग्राम चुल्हापथरा का सैमसंग मोबाईल सेट किसी अज्ञात आरोपी द्वारा प्रार्थी के घर से चोरी कर ले गया जिस पर विषेष टीम को जिला कांकेर भेजा गया था । जिसमें प्रकरण के आरोपी प्यारेलाल नागवंषी पिता स्व. हीरालाल नागवंशी 30 वर्ष साकिन नांहदा सोनईडोंगरी थाना गुरूर जिला बालोद, दुर्गेश नेताम पिता स्व हनुमान नेताम उम्र 22 वर्ष साकिन श्रृगांरभाट थाना कांकेर जिला कांकेर से चोरी का मोबाईल हैण्डसेट बरामद कर आज 29 अगस्त को विधिवत गिरफ्तार किया गया।

महत्वपूर्ण एवं खास

छत्तीसगढ़ में जन्माष्टमीं पर्व पर अब मदिरा और मांसाहार की दुकानें बंद रहेंगी

रायपुर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ा निर्णय लेते हुए जन्माष्टमी पर्व के अवसर पर मदिरा विक्रय दुकानों और मांसाहार की दुकानों को बंद रखने के निर्देश दिए है। निर्देशानुसार 30 अगस्त को प्रदेश में मदिरा और मांसाहार की दुकानें नहीं खुलेंगी।

किसानों को अब तक 4 हजार 325 करोड़ रूपए से अधिक का कृषि ऋण वितरित

रायपुर (आरएनएस)। इस साल खरीफ सीजन के लिए 5300 करोड़ रूपए कृषि ऋण के रूप में किसानों को उपलब्ध कराए जाने का लक्ष्य के विरूद्ध अब तक 4 हजार 325 करोड़ 27 लाख रूपए का ऋण किसानों को दिया जा चुका है, जो कि निर्धारित लक्ष्य का 82 प्रतिशत है। कृषि विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य में जैविक खाद के उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किसानों को वर्मी कम्पोस्ट एवं सुपर कम्पोस्ट खाद भी कृषि ऋण के रूप में उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था सहकारी समितियों में की गई है। अब तक किसानों ने 2 लाख 79 हजार 400 क्विंटल वर्मी कम्पोस्ट का उठाव कृषि ऋण के रूप में किया है, जिसकी कुल कीमत 27 करोड़ 94 लाख रूपए है।

हथियार दिखाकर दहशत फैलाने वाला पुलिस के हत्थे चढ़ा

रायपुर (आरएनएस)। राजधानी में अपराधियों के हौसले दिन–प्रतिदिन बुलंद होते नजर आ रहे है। ऐसा लगता है मानो कि अपराधियों में पुलिस का खौफ खत्म हो चुका है।बता दें कि ऐसा ही एक मामला सामने आया है। बीते दिन टिकरापारा पुलिस ने एक आरोपी को हथियार दिखाकर लोगों में दहशत फैलाने के मामले में गिरफ्तार कर उसके पास से धारदार हथियार जब्त किया है। मिली जानकारी के मुताबिक बीते दिन मुखबीर की सूचना पर पुलिस ने संतोषी नगर ओव्हरब्रिज के पास एक आरोपी को राहगीरों को चाकू दिखाकर डराने–धमकाने के मामले में मौके पर पहुंचकर गिरफ्तार किया है। आ?रोपी का नाम शाहरुख पिता मोहम्मद आसिफ खान उम्र 26 वर्ष निवासी संजय नगर टिकरापारा है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 25,27 आम्र्स एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू कर दिया है। संजय चौबे

चलती कार में लगी आग, चार लोगों ने कूदकर बचाई जान

रायपुर (आरएनएस)। राजधानी के मंदिर हसौद थाना क्षेत्र में चलती बोलेरो गाड़ी में अचानक आग धधकने के कारण कार सवार 4 लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। हालांकि बोलेरो पूरी तरह जलकर खाक हो गई है।फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं लग पाया है। बोलेरो में अचानक आग धधकने से रोड पर हड़कंप मच गया। जब तक दमकल की मदद मिलती बोलेरो जलकर खाक हो गई।

झीरम घाटी में दो ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गई

जगदलपुर (आरएनएस)। जिले के दरभा थाना क्षेत्र अंतर्गत झीरम घाटी में दो अलग-अलग जगह पर भारी सामान से लदी हुई ये दो ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गई। झीरम घाटी के एस मोड़ के नाम से जाने जाने वाली मोड़ पर रायपुर सेमछली दाना लेकर आंध्रप्रदेश जा रही ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क पर ही पलट गई। और कुछ दूरी पर एक अन्य मोड़ पर आंध्रप्रदेश की ओर से नारियल भरकर जगदलपुर की ओर जा रही ट्रक पलट गई। जिसमें चालकों को हल्की चोट आई है। सूचना पर दरभा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर वाहन चालकों को मदद कर उपचार के लिए रवाना किया।

11.29 लाख मीट्रिक टन रासायनिक उर्वरक का हो चुका वितरण

» राज्य को केन्द्र से अब तक 72 प्रतिशत उर्वरक की आपूर्ति

रायपुर (आरएनएस)। राज्य में खरीफ सीजन 2021 के लिए भारत सरकार द्वारा रासायनिक उर्वरक के लिए अनुमोदित लक्ष्य 11 लाख 75 हजार मीट्रिक टन के विरूद्ध अब तक 8 लाख 50 हजार 581 मीट्रिक टन के रासायनिक उर्वरक की आपूर्ति की गई है, जो कि अनुमोदित लक्ष्य का 72 प्रतिशत है। खरीफ सीजन 2021 के लिए राज्य में कृषकों को 28 अगस्त तक 11 लाख 28 हजार 790 मीट्रिक टन उर्वरक का वितरण किया जा चुका है। यहां यह उल्लेखनीय है कि एक अप्रैल 2021 की स्थिति में राज्य में रासायनिक उर्वरक का बचत स्कंध 4 लाख 75 हजार 544 मीट्रिक टन था, जिसमें निजी क्षेत्र में 3 लाख 26 हजार 6 मीट्रिक टन एवं सहकारी क्षेत्र में एक लाख 49 हजार 538 मीट्रिक टन की मात्रा शामिल है। बचत स्कंध एवं चालू खरीफ सीजन में प्राप्त उर्वरक को मिलाकर अब तक कुल 11 लाख 28 हजार 790 मीट्रिक टन उर्वरक का वितरण किसानों को किया गया है। कृषि विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य के सहकारी क्षेत्र को चालू खरीफ सीजन के लिए निर्धारित लक्ष्य 7 हजार 25 हजार मीट्रिक टन के विरूद्ध अब तक 4 लाख 97 हजार 505 मीट्रिक टन एवं निजी क्षेत्र हेतु निर्धारित लक्ष्य 4 लाख 50 हजार के विरूद्ध अब तक 3 लाख 53 हजार 76 मीट्रिक टन उर्वरक की आपूर्ति भारत सरकार द्वारा की गई है।

मालिक की हत्या कर बोलेरो लेकर भागने वाला आरोपी को हुई कारावास की सजा

कोरबा (आरएनएस)। शहर के परशुराम नगर में ठेकेदार राम बाबू की हत्या करने के बाद उसकी बोलेरो लेकर भागने वाले नौकर पर न्यायालय में दोष सिद्ध हो गया। इसके आधार पर दोषी को आजीवन कारावास की सजा दी गई है।

मानिकपुर चौकी के परशुराम नगर दादर में ठेकेदार रामबाबू शर्मा निवासरत था,जो अकेले रहता था। उसने अपने यहां काम करने के लिए पंप हाउस निवासी नारायण यादव को रखा था। 24 सितंबर 2019 को रामबाबू के यहां नारायण काम करने पहुंचा था, जहां दोनों मालिक-नौकर ने साथ बैठकर शराब पी थी। इस दौरान रात करीब 9.30 बजे नारायण ने मोबाइल पर अपनी गर्ल फ्रेंड की तस्वीर रामबाबू को दिखाई। नशे में रामबाबू ने उसे अपनी गर्ल फ्रेंड को एक रात के लिए उसके पास छोड़ने के लिए कहा। यह सुनकर नारायण आक्रोशित हो गया। रामबाबू और नारायण के बीच विवाद हुआ। नारायण ने पहले रामबाबू पर डंडे से हमला किया। बाद में चाकू से गोदकर उसे मार डाला। रामबाबू की मौत होने पर शव को बेड के पास रखकर बिस्तर और कपड़ों से ढंक दिया था। देर रात घर के बाहर ताला लगाकर वह रामबाबू की बोलेरो लेकर भाग निकला था। वह सीधे भाटापारा जा रहा था, लेकिन बोलेरो की रफ्तार ज्यादा होने और हड़बड़ी की वजह से बिलासपुर.रायपुर रोड पर बिल्हा के पास बोलेरो दुर्घटनाग्रस्त हो गई। उसे घायल हालत में पुलिस ने अस्पताल भर्ती कराया गया था, जहां उसने खुद ही मालिक की हत्या करके भागने का बयान दिया। इसके बाद हत्या के मामले में पता पुलिस को चला था।

उक्त मामले में मानिकपुर पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर आरोपी नारायण यादव को गिरफ्तार किया था, जो जेल में निरूद्ध था। वहीं मामला जिला व सत्र न्यायालय में विचाराधीन था। शासकीय लोक अभियोजक रोहित राजवाड़े ने बताया कि मामले में शासन की ओर से पैरवी करते हुए मजबूती के साथ साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। इससे आरोपी नारायण के खिलाफ दोष सिद्ध हो गया। इसके आधार पर सुनवाई करते हुए जिला व सत्र न्यायाधीश बीपी वर्मा ने दोषी नारायण को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

95 फीसद हो चुकी खरीफ फसलों की बुआई धान की बोनी पूरी

रायपुर (आरएनएस)। राज्य में खरीफ फसलों की बुआई का अंतिम चरण की ओर है। कृषि विभाग से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार 28 अगस्त तक धान, अन्य अनाज के फसलों सहित तिलहन और साग-सब्जी की बुआई 45 लाख 62 हजार 530 हेक्टेयर में हो चुकी है, जो कि चालू खरीफ सीजन के लिए निर्धारित बोआई के लक्ष्य का 95 प्रतिशत है। अब तक राज्य में 37 लाख 12 हजार 690 हेक्टेयर में धान की बोता एवं रोपा बोनी हो चुकी है, जो कि चालू खरीफ सीजन के लिए निर्धारित लक्ष्य का शत-प्रशित है। राज्य में चालू खरीफ सीजन में अब तक 2 लाख 85 हजार 610 हेक्टेयर में अन्य अनाज की फसलों सहित 2 लाख 82 हजार 380 हेक्टेयर में दलहन, एक लाख 53 हजार 820 हेक्टेयर में तिलहनी तथा 1 लाख 18 हजार 30 हेक्टेयर रकबे में साग-सब्जी एवं अन्य फसलों की बुआई पूरी कर ली गई है।

राज्य में खरीफ सीजन 2021 में 48 लाख 20 हजार हेक्टेयर रकबे में खरीफ फसलों की बुआई का लक्ष्य है, जिसमें धान सहित अन्य अनाज की फसलों के लिए 40 लाख 55 हजार 490 हेक्टेयर, दलहन के लिए 3 लाख 76 हजार 670 हेक्टेयर, तिलहन के लिए 2 लाख 55 हजार 490 हेक्टेयर में तिलहन तथा साग-सब्जी एवं अन्य फसलों की खेती के लिए एक लाख 32 हजार 340 हेक्टेयर का लक्ष्य निर्धारित है। निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध अब तक धान की बोता-बोनी 25 लाख 77 हजार 880 हेक्टेयर में की जा चुकी है, जो कि निर्धारित लक्ष्य का 101 प्रतिशत है। इसी तरह राज्य में 11 लाख 3 हजार 810 हेक्टेयर में धान का रोपा लगाया गया है, जो निर्धारित लक्ष्य का 100 प्रतिशत है। धान की बोता और रोपा बोनी को मिलाकर कुल 37 लाख 12 हजार 690 हेक्टेयर में धान की बुआई हो चुकी है, जो कि चालू खरीफ सीजन के लिए धान की बोनी के लक्ष्य का 100 प्रतिशत है। राज्य में दलहन फसलों की बोनी के लक्ष्य के विरूद्ध अब तक 75 प्रतिशत, तिलहन की 60 प्रतिशत तथा साग-सब्जी एवं अन्य फसलों की 89 फीसद बोनी पूरी हो चुकी है।

नागा टेकरी के पास 5 किलो आईईडी बरामद

सुकमा। जिले में चलाये जा रहे नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत सुरेन्द्र सिंह कमाण्डेंट के नेतृत्व में सीआरपीएफ 231 बटालियन की दो कम्पनियां (ई तथा जी/231 साथ में जी/165 बटालियन) कोण्ड़ासांवली कैम्प से नागा टेकरी थाना जगरगुण्ड़ा की ओर सर्चिंग के लिए रवाना हुई थी, इस दौरान नागा टेकरी के पास बीडीएस दस्ते के द्वारा 05 किलो का 01 नग जिंदा आईईडी बरामद कर सफलता पूर्वक निष्क्रिय कर दिया गया। इस इलाके में सीआरपीएफ 231 बटालियन के द्वारा विगत 03 वर्षों में नक्सलियों द्वारा लगाई गई लगभग 120 आईईडी को बरामद कर निष्क्रिय किया जा चुका है।

जापानी पद्धति मियावाकी से लगाया गया भानुप्रतापपुर में पहला जंगल

कांकेर (आरएनएस)। जिले के भानुप्रतापपुर में जापान से निकली जंगल उगाने की मियावाकी तकनीक से बहुत कम और बंजर जमीन में भी पौधे लगाकर जंगल उगाया जा सकता है। अर्बन फॉरेस्ट कैटेगरी की यह तकनीक इतनी आसान है कि आप बगीचे या आसपास की खुली जगह में भी मिनी मियावाकी जंगल उगा सकते हैं। दुनियाभर में इस तकनीक से अब तक तीन हजार से ज्यादा जंगल उगाए जा चुके हैं। छत्तीसगढ़ में भी इस पद्धति का प्रयोग करते पहला मॉडल मियावाकी मिनी फारेस्ट जंगल भानुप्रतापपुर के पूर्व वन मंडल किया गया जो एक साल के भीतर इसके जो परिणाम सामने आये वह काफी उत्साहजनक है।

पूर्वी वन मंडल भानुप्रतापपुर वन विभाग के अनुसार प्रदेश उनका विभाग इकलौता है जिसने साल 2020 में इस पद्धति से सिर्फ 0.56 हेक्टेयर में कुल 30 प्रजाति के 11 हजार पौधे रोपे गये थे, जिसमें 95 प्रतिशत पौधे जिंदा हैं। पौधों की रोपण को सिर्फ 11 महीनों ही हुए की उनकी ऊंचाई 125 सेंटीमीटर होकर घना जंगल बन चुका है। जबकी सामान्य जंगल तैयार करने में लगभग 100 साल का वक्त लगता है। मियावाकी रोपण आज देश के बड़े शहरों में प्रचलित हो रहा है। बैंगलोर, हैदराबाद और मुंबई जैसे बड़े शहरों में इस तकनीक से बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण हो रहे है। यह रोपण हमारे परंपरागत वृक्षारोपण से 30 गुना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड सोखता है और धूल और ध्वनि प्रदूषण को 3000 गुना तक कम करता है। छोटे से क्षेत्र में किए गए रोपण से तुलनात्मक अधिक फायदे हैं। इस वजह से यह भविष्य का वृक्षारोपण बन सकता है।

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com

Social Justice Union

Registered with Govt. No. 5526

Join SJU

अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता

इस संघ का गठन सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईज़र श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों कु0 सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐकता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी सकुन्दे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जायेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य हाथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्ता, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जायेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां

मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जायेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियाँ की जायेगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु

प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जायेगी।

पीड़ित संपर्क करें

संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु

- संघ पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक तौर के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जायेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जायेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जायेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुंचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जायेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जायेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के भूले बिसरे पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित करायेगा।

पढ़िए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र

:: Address :: Behind Stadium Near Career School, Raigarh, C.G. Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।

Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU

अवैध ई-टिकट का कारोबार करने वाला आरोपित गिरफ्तार

कोरबा (आरएनएस)। यात्रा के लिए अवैध ई.टिकट बनाने वालों के खिलाफ समय-समय पर रेलवे सुरक्षा बल की ओर से कार्रवाई की जाती है। इसी क्रम में व्यक्तिगत यूजर आइडी के जरिए ग्राहक सेवा केंद्र की आड़ में रेल टिकटों की कालाबाजारी करने वाले एक आरोपित को गिरफ्तार किया गया है। आरपीएफ पोस्ट कोरबा की टीम की ओर से की गई इस कार्रवाई में आरोपित के पास से पुराने व नए समेत 6989 रुपये के टिकट भी बरामद किए गए हैं और जिन उपकरणों से इन्हें तैयार किया जाता है, उन्हें भी जब्त कर लिया गया है।

रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट कोरबा की ओर से कोरबा शहरी क्षेत्र में रेलवे अधिनियम की धारा 143 के तहत अभियान चलाया गया, जिसके तहत शारदा विहार मेन रोड कोरबा में स्थित साई मोबाइल च्वाइस सेंटर व लोक सेवा-ग्राहक सेवा केंद्र नामक दुकान में दबिश दी गई। इस दुकान के संचालक दिलबाग सिंह 38 निवासी मकान नंबर एलआइजी.58, एमपी नगर घंटाघर, थाना रामपुर चौकी को पकड़ा गया। आरोपित के पास से व्यक्तिगत यूजर आइडी से बनाई गई सात नग रेलवे ई.टिकट जिसमें तीन नग फ्यूचर टिकट कीमत 3588 रुपये एवं चार नग पास्ट टिकट कीमत 3401 रुपये, कुल कीमत 6989 रुपये के साथ गिरफ्तार किया गया। आरोपित से बरामद रेलवे ई-टिकटों को बनाने में उपयोग में लाए गए लेपटाप, प्रिंटर एवं मोबाइल फोन को जप्त कर आरोपित सहित रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट कोरबा लाया गया। उसके विरूद्ध रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट कोरबा में धारा 143 रेलवे अधिनियम का मामला पंजीबद्ध किया गया। यात्रियों को उनकी यात्रा के लिए वैध टिकट प्राप्त कर सुविधा व सरलता, जो इसके लिए रेल प्रशासन की ओर से हर संभव प्रयास किए जा रहे। बावजूद इसके जरा सी जल्दबाजी के चलते इस तरह के अवैध कारोबार को बढ़ावा देना उचित नहीं। इस पर लगाम कसने आरपीएफ टीम सख्त कार्रवाई के लिए सतत तत्परता से कार्य कर रही।

आरपीएफ पोस्ट कोरबा प्रभारी के के झा ने कहा कि यात्रियों को वैध टिकट पर ही यात्रा करनी चाहिए। रेलवे की ओर से यात्रियों को आरक्षित बर्थ व सीट के साथ आरामदायक यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराने कई प्रकार की सुविधाएं दी गई हैं। बिना स्टेशन गए अपने पास के ही कंप्यूटर सेंटर या मोबाइल के माध्यम से यात्रा टिकट बुक करने ई-टिकट की सुविधा भी इन्ही में से एक है। पिछले कुछ समय से अनेक स्थानों पर ई-टिकट की सुविधा में अवैध टिकट बनाने वालों के नियम विरुद्ध टिकटों की बुकिंग कर कालाबाजारी की शिकायतें भी मिलती रही हैं। समय-समय पर रेलवे सुरक्षा बल की ओर से छापेमारी कर इस कार्य में संलिप्त व्यक्तियों पर कार्रवाई भी की जाती है।